उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

30.4.17 वकील अपीलान्ट उपस्थित उत्तरदाता अनुपस्थित।

अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद
गुजार कर स्वीकार की जाती है।
विपक्षगण आदेश प्रथम से निगरानी
जारी हुआ गया और शामिल
मिसल किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी – श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस.

राजस्व अपील स.08/2016

अपीलाण्ट	बनाम	उतरदातागण
धीगाराम पुत्र राजूराम जाति मेधववाल निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1.ग्राम पंचायत धनवा जरिये सरपंच 2.गुमना पुत्र राजूराम 3.मंगला पुत्र राजूराम 4.उदा पुत्र राजूराम 5.पोला पुत्र राजूराम 6.कुम्भाराम पुत्र पुनमाराम 7.भंवराराम पुत्र पूनमाराम 8.किशनाराम पुत्र पूनमाराम 9.सुजा पुत्र पूनमा जाति मेधववाल निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 10.शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे.शाखा दाखा 11.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं.124 जो ग्राम पंचायत धनवा द्वारा दिनांक 02.10.1985 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री डालूराम जी,अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

2. रेस्पोडेंटस 1 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 30.01.2017

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

1.संक्षेप मे यह अपील ग्राम–बामणी पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी के नामान्तकरण स. 124 पर पारित ग्राम पंचायत धनवा के आदेश दिनांक 02.10.1985 सें असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपील के साथ उन्होनें अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब सें होना अपील के प्रस्तुतीकरण में हुयें विलम्ब की वजह बतातें हुए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2.सक्षेपं में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पिता राजू पुत्र सोना की पैतृक एवं पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बामणी पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.41 व 42 कुल रकबा 71–18 बीधा भूमि अवस्थित थी। जिस पर अपीलाण्ट के पिता राजूराम का अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा था,अपीलाण्ट के पिता का देहांत होने पर उसके वारिसान के तौर पर अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 से 5 का नाम विवादित भूमि मे दायर किया गया,जिसमे अपीलाण्ट का गलत धीसाराम का अंकन किया गया,जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम है,जबकि अपीलाण्ट का विवादित भूमि मे अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चली आ रही है,लेकिन अपीलाण्ट का राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम इन्द्राज होने के कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ नही मिल रहा है,इस प्रकार अपीलाण्ट के हक हकूको पर भारी कुठराधात हो रहा है। अतः अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश निरस्त करवातें हुए विवादित भूमि मे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम दर्ज करवातें हुए नामान्तकरण पारित करवानें का निवेदन किया गया।

3.म्याद के बिन्दु के सुरक्षित रखतें हुए अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरियें सम्मन तलब किया गया। उतरदातागण के नोटिस तामिल होने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विवादित भूमि के सबंध मे मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य मे विवादित भूमि ग्राम बामणी पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 41,42 की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 तक,विवादित भूमि पर पारित नामान्तकरण स.124 की प्रति,अपीलाण्ट का आधार कार्ड

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रति,वोटर कार्ड प्रति,परिवार राशन कार्ड प्रति,भामाशाह कार्ड प्रति,स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शखा सिणधरी द्वारा जारी पासबुक प्रति पेश की गई है।

4.वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। दोरानें बहस वकील अपीलाण्ट नें अपील के तथ्यो को दोहराते हुए,तर्क दियें कि अपीलाण्ट के पिता राजू पुत्र सोना की पैतृक एवं पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बामणी पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.41 व 42 कुल रकबा 71–18 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर अपीलाण्ट के पिता राजूराम का कब्जा काश्त चला आ रहा था,अपीलाण्ट के पिता का देहांत होने पर उसके वारिसान के तौर पर अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 से 5 का नाम विवादित भूमि मे दायर किया गया,जिसमे अपीलाण्ट का गलत नाम धीसाराम पुत्र राजाराम का अंकन किया। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम है,जबकि अपीलाण्ट का विवादित भूमि मे अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन अपीलाण्ट का राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम इन्द्राज होने के कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ नही मिल रहा है,इस प्रकार अपीलाण्ट के हक हकूको पर भारी कुठराधात हो रहा है। जबकि नामान्तकरण पारित करनें सें पूर्व ग्राम पंचायत धनवा को राजूराम के वारिसान को जरियें नोटिस सूचित करतें हुए बाद सुनवाई विधिनुसार नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नही कर अपीलाण्ट को उसके हक हकूकों सें वंचित कर दिया गया। एवं विवादित भूमि के सबंध मे तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच से भी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम होना पाया गया है। अतःअपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश निरस्त करवातें हुए अपना सही नाम धीगाराम पुत्र राजूराम दर्ज करवातें हुए नामान्तकरण पारित करवानें का हकदार है। अतः अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश निरस्त करवातें हुए विवादित भूमि मे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम दर्ज किया जावें।

5 .हमनें अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं विवादित ग्राम पंचायत धनवा द्वारा पारित नामान्तकरण स.124 का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। एंव विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया और जिसमें पाया कि अपीलाण्ट के पिता राजा एंव पुनमा की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा–बामणी पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 41,42 कुल 71–08 बीधा भूमि आई हुई है,अपीलाण्ट के पिता राजा के फोत होने

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

पर उसके वारिसान के तौर पर अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 से 5 का नाम विवादित भूमि मे खातेदारान के रूप मे दायर करते हुए नामान्तकरण स.124 सरपंच ग्राम पंचायत धनवा द्वारा पारित किया गया। जिसमे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम के स्थान पर गलत नाम धीसाराम पुत्र राजूराम दर्ज किया गया। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम है,जो अपील के सलंग्न दस्तावेजात आधार कार्ड प्रति,वोटर कार्ड प्रति,परिवार राशन कार्ड प्रति,भामाशाह कार्ड प्रति,स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शखा सिणधरी द्वारा जारी पासबुक से प्रमाणित होता है,कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम है,लेकिन विवादित नामान्तकरण स.124 पारित करने से पूर्व इस सबंध मे कोई जांच नही की गई,और अपीलाण्ट का विवादित भूमि मे गलत नाम दायर किया गया। गलत नाम दायर होने के कारण अपीलाण्ट अनावश्यक परेशान हो रहा है,जबकि यह तत्कालीन राजस्वकर्मी की गलती के कारण इतने वर्षा से अपीलाण्ट परेशान होता आ रहा है,जिसका अपीलाण्ट हकदार भी नही है, अपीलाण्ट को उसके हक हकूकों सें महरूम रखा गया। जबकि नामान्तकरण पारित करनें सें पूर्व ग्राम पंचायत को राजूराम के वारिसान को जरियें नोटिस सूचित करतें हुए बाद सुनवाई विधिनुसार नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नही कर अपीलाण्ट को उसके हक हकूकों सें वंचित कर दिया गया। एवं विवादित भूमि के सबंध मे तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी मौका जांच रिपोर्ट मे भी अंकन किया है,कि अपीलाण्ट का वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,अपीलाण्ट का वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम दायर करने की सिफारिश की है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत धनवा नें अपीलाण्ट के हितों की अनदेखी कर गम्भीर विधिक त्रुटि की है,कानूनन जब कोई नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हो तब उसके विरूद्व अपील कभी भी लाई जा सकती है जिसके लिये म्याद का बिन्दू आड़े नही आता है,यह भी प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत धनवा ने अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट को कोई नोटिस दिया और न ही किसी प्रकार की सूचना दी और न ही सूनवाई का कोई अवसर ही दिया, ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 124 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है,जहां नामान्तरकरण बिना विधिक जांच किये तथा बिना विधिक पक्षकारान को नोटिस दिये भरा जाता हैं,वहां म्याद का बिन्दू आडे नही आता हैं,ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद सुमार किया जाना न्यायोचित है। एवं उतरदातागण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही हुई है,इससे प्रतीत होता है,कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किये जाने मे उनकी मौन स्वीकृति है, ऐसी सूरत मे अपीलाण्ट अपीलाधीन भूमि में अपना वास्तविक नाम धीगाराम पुत्र राजूराम नाम दायर करवाने का हकदार हैं।

6. लिहाजा अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद सुमार कर स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत धनवा के नामान्तकरण स.124 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत धनवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.10.1985 को निरस्त कर तहसीलदार सिणधरी को अपीलाधीन भूमि मे अपीलाण्ट का दायर गलत नाम धीसा पुत्र राजा के स्थान पर **सही नाम धीगाराम पुत्र राजूराम** नाम दायर किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदूस्तर रहेगा।

30/1/12
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 30/1/12 को लिखवाया जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

30/1/12
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner